NAGAR NIGAM BHILAI

NIT

विधायक निधि अंतर्गत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दिशा सूचक बोर्ड लगाने हेतु।

AS PER PWD BUILDING / ROAD S.O.R 01.01.2015

S.NO	PARTICULAR	QTY	UNIT
1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other .. stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.		
	In all types of soils.	9.22	Cum
2	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).		
		0.86	Cum
4	Providing and laying nominal mix einforcement cement concrete with crushed stone .. excluding cost of reinforcement and form work. 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).		
		6.26	Cum
4	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete: Thermo-Mechanically treated bars FE 415		
		501.12	Kg
5	Providing stainless steel railing/ grill made of S.S. flats, hollow S.S. pipe or square/ rectangular sections of approved design fixing in stair case, balcony or other places with metal fasteners and stainless steel bolts etc complete.		
		310.00	kg
6	Painting on new work (two or more coats) to give an even shade with:		
	Aluminium paint	200.00	Sqm
7	Overhead Signs (Providing and erecting overhead signs with a corrosion resistant aluminum alloy sheet reflectorized with high intensity retro-reflective sheeting of Micro prismatic grade type with vertical and lateral clearance given in clause 802.2 and 802.3 and installed as per clause 802.6 over a designed support system of aluminum alloy or galvanized steel trestles and trusses of sections and type as per structural design requirements and approved plans)		
	Truss and Vertical Support	7.15	Tonne
	Aluminum alloy plate for over head sign	70.00	Sqm

ASSTT.ENGINEER	SUB ENGINEER
Nagar Palik Nigam, Bhilai	Nagar Palik Nigam, Bhilai

निविदा की नियम एवं शर्तें

01. प्रत्येक निविदा हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम भिलाई हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु –
    (1) एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत ठेकेदार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन
    (2) विगत 02 वर्ष का आयकर विवरणी (ITR)
    (3) जी. एस. टी. प्रमाण पत्र (जीवित पंजीयन)
    (4) पेन कार्ड
    (5) यदि फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र
    (6) निविदा प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा शेडयूल बैंक की निर्धारित राशि की साल्वेन्सी (12 माह से अधिक पुरानी न हो) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, बैंक साल्वेंसी बैंक गांरटी की राशि निम्नानुसार होगी :–

(i)	रू. 2.00 लाख से अधिक एवं 5.00 लाख के ठेको के लिये	25,000.00
(ii)	रु.5.00 लाख से अधिक एवं 25.00 लाख के ठेको के लिये	3,00,000.00
(iii)	रू.25.00 लाख से अधिक एवं रु. 50.00 लाख तक	5,00,000.00
(iv)	रू. 50.00 लाख से अधिक एवं रु. 200.00 लाख तक	12,00,000.00
(v)	रू. 200.00 लाख से अधिक तक के ठेको के लिये	25,00,000.00

    (7) टूल्स एण्ड टेकल्स प्रपत्र 2B में शासकीय/अर्धशासकीय विभाग के कार्यपालन अभियंता/समकक्ष अधिकारी से सत्यापित।
    (8) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प शपथ् पत्र
    (9) प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र।
    (10) कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण एवं पिछले 03 माह की चालान की प्रति
    (11) Retro-reflective Sheet निर्माण कंपनी से अधिकृत Convertor पत्र (डीलर या वितरक से प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा), Retro-reflective Sheet निर्माण कंपनी द्वारा 07 वर्ष के पूर्व – योग्यता वारंटी प्रमाण पत्र, प्राधिकृत ठेकेदार द्वारा लिखित गारंटी के साथ, Retro-reflective Sheet की परीक्षण रिपोर्ट, स्टेनलेस स्टील की परीक्षण रिपोर्ट। (केवल कार्य क्रं. 1 एवं 2 के लिये लागू)

ये सभी दस्तावेज निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग–अलग आवेदन में उपरोक्तानुसार समस्त दस्तावेजों की नोटरी से सत्यापित प्रति प्रत्येक आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।

<u>इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां प्रत्येक निविदा समूह हेतु पृथक–पृथक जमा करना अनिवार्य होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में ही अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त राशि का एफ. डी. आर. संलग्न होने पर ही प्राईस बिड खोली जावेगी।</u>

05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका क. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक–पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
06. अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार की जायेंगी
07. निविदाकार लिफाफा "ए" में अमानत राशि का एफ.डी.आर. एवं निविदा प्रपत्र का रसीद की कॉपी भरकर प्रस्तुत करेंगे एवं लिफाफा "बी" में निविदा प्रपत्र को भरकर प्रस्तुत करेंगे, इन दोनों लिफाफा को बड़े लिफाफा में भरकर जोन आयुक्त, जोन क्र. 02 वैशालीनगर नगर पालिक निगम भिलाई के नाम पर निर्धारित तिथि एवं समय में स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से जोन आयुक्त, जोन क्र. 02 वैशालीनगर नगर पालिक निगम

भिलाई में जमा करना होगा। अमानत राशि का लिफाफा "ए" पहले खोला जायेगा। पर्याप्त राशि का एफ.डी. आर. संलग्न होने पर ही प्राईस बिड खोली जावेगी। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।

08. फिजिकल सबमिशन हेतु प्रस्तुत लिफाफा लाख चापड़ा से सीलबंद होने पर ही स्वीकार की जायेगी।

09. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र "अ" नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की www.uad.cg.gov.in व www.eproc.cgstate.gov.in में उपलब्ध है।

10. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जायेगी तथा वापस लौटा दी जायेगी।

11. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा।

12. ठेकेदार अपने दर प्रपत्र "अ" अनुसार प्रतिशत में भरे एवं प्रपत्र "बी" अनुसार आईटम रेट अनुसार भरे एवं अपनी दरें समस्त करो सहित भरना अनिवार्य है ।

13. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

14. ठेकेदार द्वारा 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अधिकार पत्र दिये जाने पर ही उनके प्रतिनिधि को निविदा प्रपत्र दिया जा सकेगा। बिना अधिकार के प्रतिनिधि को निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जायेगा।

15. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से नियमानुसार कटौती की जायेगी।

16. यदि स्थल पर उपयोग की गई सामग्री, सेम्पल सामग्रियों से निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है तो समस्त सामग्री तत्काल स्थल से हटाना होगा। जिसके लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

17. ठेकेदार को दी गई समयावधि में काम पूरा न कर सकने की स्थिति में ठेकेदार के देयक से किये गये कार्य के मूल्य का छः प्रतिशत तक कटौती की जावेगी ।

18. ठेकेदार को अंतिम देयक से पूर्व रायल्टी चुक्ता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अतिंम देयक भुगतान नहीं किया जावेगा।

19. यदि आयुक्त/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान गुणवत्ताविहीन है, तो लिखित में मांग किये जाने पर वह ठेकेदार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्यो को आयुक्त/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या गुणावत्ताविहीन समझे गये सामान को और ठेके शर्तो के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान प्रदाय न किये जाने पर आयुक्त/इंजीनियर द्वारा लिखित माग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत प्रतिदिवस (निविदा प्रपत्र स (सी) अनुसार) की दर से क्षति का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

20. समयावधि में कार्य पूर्ण न करने की स्थिति में निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकती है तथा पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।

21. निर्माण में नगर पालिक निगम अधिनियम तथा कार्य विभाग मैन्यूअल का पालन करना होगा।

22. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यो में फ्लाई एश ब्रिक्स का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

23. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ—5/190/18/05 रायपुर दिनांक 19/01/2012 के अनुसार :— सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा के दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन. एस. सी. जो आयुक्त नगर पालिक निगम के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दिशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

24. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय मान्य होगा।

25. प्राक्कलन के अनुसार कार्यस्थल पर सूचना फलक लगाया जावें, जिसमें कार्य के लागत, प्रशासकीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति, क्रियान्वयन एजेंसी मजदूरी की दर, कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता दिनांक इत्यादि दर्शाया जावे, साथ ही कार्य स्थल पर निर्माण निरीक्षण पंजी रखी जावे।
26. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश नगर पालिका लेख नियम 1971 के नियम 139(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि **"ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि में पूरा करने में असफल हुए हो ठेका न दिया जावेगा"।**
27. कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा निरस्त करते हुए आगामी निविदा में संबंधित को निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।
28. ठेकेदार को अपने फर्म संबंधी ई–मेल आई.डी. एवं बैंक संबंधीत सभी दस्तावेज (आई.एफ.एस.सी कोड/अकाउन्ट नम्बर/बैंक का नाम इत्यादि) देना अनिवार्य होगा।
29. अन्य नियम व शर्ते से संबंधित जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
जोन क्र. 02 वैशालीनगर
नगर पालिक निगम भिलाई
जिला – दुर्ग (छ.ग.)

उप अभियंता
जोन क्र. 02 वैशालीनगर
नगर पालिक निगम भिलाई
जिला – दुर्ग (छ.ग.)